कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612066/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :– टीसीबी / 2021 / 83 दिनांक :– 18/11/2021

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को सायं 04.00 बजे श्री कमर उल जमान चौधरी आई.ए.एस. आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं अध्यक्ष जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में प्राधिकरण स्थित कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विस्तृत विचार विमर्श सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव सं. 1 :– गत बैठक दिनांक 06.01.2021 का कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर सम्बन्धित सभी को प्रेषित किया जा चुका था । अतः समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णयों की विभागवार पालना रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा कर निर्णयो की पुष्टि की गई ।

प्रस्ताव सं. 2 :– कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर से प्राप्त एजेण्डा नोट :–

1. यातायात सुधार हेतु विभिन्न स्थलों पर गतिसीमा, पार्किंग / नो–पार्किंग, नो–एन्ट्री, ऑटो–रिक्शा / बस / कार–जीप स्टेण्ड एवं दिशा सूचक बोर्ड लगवाने बाबत् ।

निर्णय :– जोधपुर शहर में व्यवस्थित यातायात के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर ऑटो रिक्शा / लोडिंग टैक्सी, कार–जीप टैक्सी स्टेण्ड, पार्किंग / नो–पार्किंग स्थल, गति सीमा एवं विभिन्न यातायात निर्देशों के बोर्ड लगाने के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया कि उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार जिस विभाग द्वारा जो सडक निर्मित की गई है एवं संधारण किया जा रहा है वही विभाग उक्त दिशा सूचक बोर्ड अविलम्ब लगवाया जाना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व पेश करें। शहर में ट्रैफिक सिंग्नल सिन्क्रोनाइजेशन हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम (उतर / दक्षिण) एवं सा.नि.वि. (एन.एच.) को आवश्यक कार्यवाही कर विस्तृत रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया ।

2. जोधपुर शहर में निर्धारित ब्लैक स्पॉट्स पर दुर्घटना निवारण के उपायो पर चर्चा ।

निर्णय :– जोधपुर शहर में कई दुर्घटना संभावित क्षेत्र है । उपायुक्त पुलिस यातायात को विभागवार संबधित ब्लैक स्पोट्स की सूची प्रदत करवाने तथा उन द्वारा अवगत करवाये गये ब्लैक स्पॉट्स पर दुर्घटनाओं के निवारण हेतु जो उपाय सुझाये गये है उन पर सम्बन्धित विभाग अविलम्ब कार्यवाही करें । निर्माणाधीन रिंग रोड के कारण सम्भावित दुर्घटना स्थलो का जल्द निस्तारण करने हेतु एन.एच.ए.आई. को पाबंद किया जाये तथा कोताही पर विभाग की जिम्मेदारी तय की जाये । एन.एच.ए.आई. की तरफ से विभागीय प्रतिनिधि की

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

अनुपस्थित पर अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी व्यक्त की तथा आगामी बैठक मे अधीक्षण अभियन्ता की उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया । इसी क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात (प्रशासन) जोधपुर, अधिशाषी अभियंता जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, जिला परिवहन अधिकारी (द्वितीय प्रवर्तन), जोधपुर, अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. जिला खण्ड (द्वितीय) तथा अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड रा.उ.मा. जोधपुर की संयुक्त टीम का गठन किया हुआ है। उक्त गठित संयुक्त टीम द्वारा प्रत्येक प्राणघातक/गम्भीर किस्म की दुर्घटना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान के लिए घटना स्थल का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है तथा उक्त दुर्घटना स्थल के बारे में बताई गई कमियो को सम्बन्धित विभाग द्वारा दुरूस्त किया जा रहा है। अतः दुर्घटना निवारण उपायों पर विस्तार से चर्चा कर बिन्दुवार सम्बन्धित विभाग को अपने–अपने क्षेत्राधिकार में प्रभावी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्री–टीसीबी कमेटी के समक्ष एक माह में पेश करने के निर्देश प्रदत किये गये ।

3. यातायात पुलिस द्वारा चिन्हित स्थलों पर सडक के मध्य सिंगल कर्व स्टोन डिवाईडर बनाने, चिन्हित स्थलों पर डिवाईडर दुरूस्त करवाने, ब्लींकर एवं सिंग्नल लाईटें लगवाने, स्लीप लाईने बनवाने, पार्किंग लाईनिंग, जेब्रा लाईनिंग एवं यातयात सडक संकेतकों को अंकित करवाने बाबत् चर्चा ।

निर्णय :– चिन्हित स्थलों पर सडक के मध्य सिंगल कर्व स्टोन डिवाईडर बनाने, चिन्हित स्थलों पर डिवाईडर दुरूस्त करवाने, ब्लींकर एवं सिंग्नल लाईटें लगवाने, स्लीप लाईने बनवाने, पार्किंग लाईनिंग, जेब्रा लाईनिंग एवं यातायात सडक संकेतकों को अंकित करने के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबधित विभाग को निर्देशित किया गया कि जिस विभाग द्वारा जो सडक निर्मित की गई है एवं संधारण किया जा रहा है वही विभाग उक्तानुसार कार्य करवाया जाना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट आगामी बैठक बैठक से पूर्व पेश करे ।

<u>प्रस्ताव सं. 3</u> :– कार्यालय अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात जोधपुर से प्राप्त एजेण्डा नोट :–

1. यातायात सुधार हेतु जनहित में गति सीमा के नये बोर्ड लगवाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया कि जिस विभाग द्वारा जो सडक निर्मित की गई है एवं संधारण किया जा रहा है वही विभाग उक्त गति सीमा के नवीन बोर्ड अविलम्ब लगवाया जाना सुनिश्चित कर सडकवार पालना रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व पेश करें।

2. यातायात सुधार हेतु जनहित में ऑटो रिक्शा सवारी/लोडिंग टैक्सी व कार/जीप टैक्सी स्टेण्ड, पार्किंग/नो–पार्किंग, नो–पार्किंग, नो–एन्ट्री के बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– जोधपुर शहर में व्यवस्थित यातायात के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर ऑटो रिक्शा सवारी/लोडिंग टैक्सी, कार–जीप टैक्सी स्टेण्ड, पार्किंग/नो–पार्किंग, नो–एन्ट्री स्थल एवं विभिन्न यातायात निर्देशों के बोर्ड लगाने के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया कि उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार जिस विभाग द्वारा जो सडक निर्मित की गई है एवं संधारण किया जा रहा है वही विभाग उक्त दिशा सूचक बोर्ड अविलम्ब लगवाया जाना सुनिश्चित करें ।

3. रातानाडा से सरदार समन्द रोड पर स्थित गोरा होटल चौराहे पर सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, जाधेपुर द्वारा अभय कमाण्ड स्तर के सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने बाबत् –

निर्णय – उक्त सडक पर अभय कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर परियोजना के अन्तर्गत सी.सी.टी.वी. कैमरे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा फाईबर कनेक्टीविटी की उपलब्धता की जांच कर लगवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया । अतिरिक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जोधपुर को आगामी बैठक में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया ।

4. प्राणघातक/गम्भीर किस्म की दुर्घटना के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घटना स्थल का निरीक्षण गठित संयुक्त टीम द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में –

निर्णय :– इस क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात (प्रशासन) जोधपुर, अधिशाषी अभियंता जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, जिला परिवहन अधिकारी (द्वितीय प्रवर्तन), जोधपुर, अधीशाषी अभियंता सा.नि.वि. जिला खण्ड (द्वितीय) तथा अधिशाषी अभियंता सा. नि.वि. खण्ड रा.उ.मा. जोधपुर की संयुक्त टीम का गठन किया हुआ है। उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त गठित संयुक्त टीम द्वारा प्रत्येक प्राणघातक/गम्भीर किस्म की दुर्घटना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान के लिए घटना स्थल का निरीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है तथा उक्त दुर्घटना स्थल के बारे में बताई गई कमियो को सम्बन्धित विभाग द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने आगामी बैठक में विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया।

5. अरोडा सर्किल से रातानाडा चौराहा जाने वाली सडक पर भारी वाहनो के आवागमन की रोकथाम हेतु हाईट गेज लगाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– अरोडा सर्किल से रातानाडा चौराहा जाने वाली सडक पर भारी वाहनों के आवागमन की रोकथाम हेतु हाईट गेज जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा लगवाये जाने का निर्णय लिया गया ।

6. नहर पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पर चौराहा विकसित कर यातायात सिग्नल लाईट्स लगवाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– इस क्रम में जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर को उक्त स्थल पर अवस्थित विधुत खम्भों को 3 माह में हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा चौराहों/सर्किल के आकार एवं यातायात सुगमता की दृष्टिकोण से तकनीकी सुधार हेतु गठित समिति को निर्देशित किया गया कि उक्त सर्किल का मौका निरीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण कर नवीन बनावट/नमूना नक्शा व समाधान संबधी संयुक्त विस्तृत रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें ।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

7. भगत की कोठी स्थित पेट्रोलियम डिपो के बाहर अवैध रूप से सडक के किनारे खडे रहने वाले गैस टैंकरों पर यातायात पुलिस एवं नगर नगम, जोधपुर द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा ।

निर्णय :– उक्त के सम्बन्ध में उपायुक्त, पुलिस यातायात को निर्देशित किया गया कि उक्त स्थल पर अवैध रूप से खड़े रहने वाले टैंकरों पर नियमानुसार कार्यवाही करें तथा नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर को पार्किंग की उचित व्यवस्था करने हेतु पाबंद करे तथा साथ ही प्रबंधक एच.पी.सी.एल. 15 दिवस में लिखित में कार्य योजना प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर एवं उपायुक्त पुलिस यातायात को संयुक्त मौका निरीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया ।

8. **निर्धारित वेंडिग एवं नॉन–वेडिंग जोन में निर्देशों की पालना बाबत् ।**

निर्णय :– आयुक्त नगर निगम जोधपुर (उत्तर/दक्षिण) को वेडिंग एवं नोन वेडिंग जोन के निर्धारण से सम्बन्धित सूची अनुसार उपायुक्त पुलिस यातायात से प्रभावी समन्वय स्थापित कर इस आशय के बोर्ड स्थापित करवाकर नॉन–वेडिंग जोन में निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

<u>प्रस्ताव सं. 4</u> :– **डी.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 371/2018 श्री रवि लोढा बनाम मुख्य सचिव व अन्य के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रदत्त निर्देशों के सम्बन्ध में चर्चा –**

निर्णय :– अतिरिक्त निदेशक सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि पुलिस यातायात प्रशासन द्वारा निम्नलिखित 10 स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा अभय कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर परियोजना अन्तर्गत लगवाये जाने का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	स्थान जहां कैमरा चाहा गया है	कैमरा पोल	फाईबर कनेक्टिविटी
1.	जिप्सी रेस्टोरेन्ट	वर्तमान में कैमरे संचालित	उपलब्ध है ।
2.	मेहता भवन	वर्तमान में कैमरे संचालित	उपलब्ध है ।
3.	जोधपुर स्वीट्स	वर्तमान में कैमरे संचालित	उपलब्ध है ।
4.	ली कूपर शोरूम	इस शोरूम के पास 3 सी रोड पर कैमरे संचालित है	उपलब्ध है ।
5.	गोल बिल्डिंग	02 पोल उपलब्ध है	उपलब्ध नहीं
6.	गोरू स्वीट होम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7.	राणी जी का मंदिर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8.	कल्याण ज्वैलर्स	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नही
9.	अग्रवाल टॉवर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10.	शिव मंदिर सी रोड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

जहां फाईबर कनेक्टीविटी उपलब्ध नहीं है उन समस्त स्थानों पर फाईबर कनेक्टीविटी उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यालय स्तर को लिखा जा चुका है । अध्यक्ष महोदय द्वारा जोधपुर शहर

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

के कॉम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान ड्राफट पर प्राप्त आपतियों/सुझावों के निस्तारण हेतु गठित समिति को एक माह में उक्त आपतियो/सुझावों को निस्तारित/समाहित करते हुए मोबिलिटी प्लान को अन्तिम रूप देने हेतु निर्देशित किया गया । साथ ही जोधपुर शहर के विभिन्न दिशाओं में चार बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चुनाव करने हेतु निदेशक अभियान्त्रिकी जो.वि.प्रा. जोधपुर को पाबंद किया गया ।

<u>प्रस्ताव सं. 5</u> :– <u>प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर द्वारा प्राप्त एजेण्डा बिन्दु</u> –

1. जोधपुर शहर में नगरीय परिवहन सेवा के अन्तर्गत निम्नांकित रूट संख्या में परिवर्तन एवं वृद्धिकरण प्रस्तावों की स्वीकृति बाबत् –

- नवीन मार्ग बालसमन्द से चौपासनी (तिलवाडिया फांटा, राजीव गांधी थाना) तक मार्ग स्वीकृति बाबत् ।

  निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त मार्ग की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदत की जाती है कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यातायात पुलिस के सुझावों को ध्यान मे रखते हुए सडक की उपलब्धता के आधार पर अनुमति प्रदान करें ।
- न्यू हाईकोर्ट से मण्डोर उद्यान तक मार्ग खोलने की स्वीकृति बाबत् ।

  निर्णय :– प्रकरण में पुलिस उपायुक्त यातायात एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर को आमजन की सुविधा के क्रम में पुनः सर्वे एवं परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया ।
- डालीबाई मन्दिर से मण्डोर उद्यान तक मार्ग खोलने की स्वीकृति बाबत् ।

  निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार डाली बाई मंदिर से मण्डोर उधान तक के विभिन्न हिस्सो में नगरीय परिवहन सेवा की रूट नम्बर 15, 31, 02, 23 ओवरलेप करती है । अतः यातायात व्यवस्था पर पडने वाले सम्भावित यात्री दवाब को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग की स्वीकृति के प्रस्ताव को खारिज किया जाता है ।
- गुरों का तालाब से आयुर्वेदिक विश्वविधालय मार्ग का वृद्धिकरण करने बाबत् ।

  निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर गुरो का तालाब से आयुर्वेदिक विश्वविधालय मार्ग का वृद्धिकरण करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया ।
- पाल चुगी नाका से आयुर्वेदिक विश्वविधालय करवड तक वृद्धिकरण करने बाबत् ।

  निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार पाल चुंगी नाका से आयुर्वेदिक विश्वविधालय मार्ग का वृद्धिकरण पाल चुंगी नाका से ट्रांसपोर्ट नगर वाया रतन नगर गेट नम्बर 2, श्रीजी गार्डन, मंगलम रेस्टोनन्ट, एच.पी. पैट्रोल पम्प, एम्स परिसर, एम्स आपातकालीन गेट, ट्रांसपोर्ट नगर दाउजी की होटल तक के मार्ग का कटौती व डाईवर्जन किया जाना उचित है । अतः उक्त संयुक्त रिपोर्ट अनुसार उक्त मार्ग के कटौती एवं डाईवर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

➢ बी.आर.टी.एस. मार्ग बनाड से कालीबेरी तक स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर बी.आर.टी.एस. मार्ग बनाड से काली बेरी मार्ग में वृद्धिकरण कालीबेरी से दईजर गांव वाया भूरी बेरी, साई धाम, पालडी मांगलिया, सरकारी स्कूल, वैधनाथ फांटा, पालडी खिचिंयान, गुलजग कम्पनी, आई.टी.बी.पी. ट्रैनिंग सेन्टर, आर.टी.सी., सी.आर.पी.एफ., मण्डलनाथ मंदिर, मण्डलनाथ रेल्वे फाटक, दईजर गांव तक की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

➢ नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 4 (मगरा पूंजला माता का थान से 220 के.वी. विधुत मण्डल एवं मार्ग संख्या 4 ए (आगंणवा से 220 के.वी. सब–स्टेशन) के वृद्धिकरण सम्बन्ध में ।

निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नगरीय परिवहन सेवा रूट संख्या 04 का वृद्धिकरण सारण नगर पुलिया तक पार्किंग अनुमत नहीं करने की शर्त पर वृद्धिकरण किये जाने का निर्णय किया गया । नगरीय परिवहन सेवा रूट संख्या 4–ए आगंणवा से 220 के.वी. विधुत मण्डल वाया हुडको क्वाटर्स, भाकर बारा स्कूल, बासनी तम्बोलिया माता का थान, धर्मकांटा, नृसिंह प्याउ, पीपली चौराहा, हरी क्लोथ स्टोर्स, मंगरा उ.मा.वि. मार्ग, भाटी चौराहा, गोकुल जी की प्याउ, लाल सागर, हनुमान मंदिर, नृसिंह विहार, हुडको क्वाटर्स, किशोर बाग, भोमिया जी का थान, कृषि मण्डी, मण्डोर रोड, भदवासिया रेल्वे फाटक, महामंदिर रेल्वे स्टेशन, महामंदिर, पावटा सी रोड, मानजी का हत्था, पावटा चौराहा, के.एन. कॉलेज, अजीत कॉलोनी, बड्डु हाउस, केसर बाग, जल रोड, हनवन्त बाग, सुभाष चौक, कृष्ण मंदिर चौराहा, भास्कर चौराहा, लोको रोड, शिव हैण्डीक्राफ्ट, जे.डी.ए., खतरनाक पुलिया, ओलम्पिक, जालोरी गेट, गोल बिल्डिंग, मेहता भवन, सरदारपुरा थाना, जलजोग, महावीर सर्किल, पी.एस.टी. चौराहा, एम.डी.एम. हास्पीटल, शास्त्री सर्किल, आई.टी.आई. डेयरी, ऐलकोबाक्स, रिको क्वाटर्स मोड, उम्मेद मील, डीजल रोड, दाउजी की होटल, एम्स आवासीय कॉलोनी, बासनी पुलिस थाना, बासनी कृषि मण्डी मोड, पशु आहार संयत्र, 220 के.वी. मण्डल तक निर्धारित किये जाने का निर्णय किया गया । उक्त स्वीकृति पीक एण्ड ड्रॉप हेतु ही जारी किये जाने का निर्णय पारित किया गया ।

➢ नगरीय परिवहन सेवा रूट संख्या 15–अ के वृद्धिकरण के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नगरीय परिवहन सेवा रूट संख्या 15–अ के वृद्धिकरण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से निरस्त कर किये जाने का निर्णय लिया गया । अतः पूर्व निर्धारित मार्ग वाहनों का संचालन करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

➢ बी.आर.टी.एस. की रूट संख्या 3 अथवा रूट संख्या 6 में आंशिक परिवर्तन के क्रम में।

निर्णय :– इस क्रम में पुलिस उपायुक्त, यातायात, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर तथा प्रबन्धक, जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा जोधपुर को संयुक्त रूप से पुनः सर्वे

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि जन–सुविधा की दृष्टिकोण से यथोचित निर्णय लिया जा सकें।

- आशापूर्णा नैनोमैक्स शिकारगढ/नैणों की ढाणी तक बस नम्बर 23 के संचालन के सम्बन्ध में ।

  निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवासीय योजना से मात्र 700 मीटर की दूरी पर मार्ग संख्या 23 नगरीय परिवहन सेवा नांदडा कला से बोरानाडा की सेवा उपलब्ध है । अतः आशापूर्णा नैनोमेक्स शिकारगढ/नैणो की ढाणी तक बस नम्बर 23 के संचालन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज किया गया ।

- नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 2, एयरफोर्स फैमिली क्वार्टर्स से गोयलो की ढाणी तक के वृद्धिकरण के सम्बन्ध में ।

  निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 2, एयरफोर्स फैमिली क्वाटर्स से गोयलो की ढाणी मार्ग में वृद्धिकरण गोयलो की ढाणी से ओसियां फांटा वाया अम्बेडकर कॉलोनी, गांधी नगर योजना, साई धाम, पालडी मांगलिया, जोरजी की ढाणी/रावजी की बगेची, वैधनाथ मंदिर, गुलजग कम्पनी, आई.टी. बी.पी. ट्रैनिंग सेन्टर, आर.पी.टी.सी., सी.आर.पी.एफ., मण्डलनाथ मंदिर, कुण्डलेश्वरी माता जी का मंदिर, ओसियां फांटा तक की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई ।

- टैम्पो मार्ग संख्या 25 सूरज बेरा से शोभावतो की ढाणी मार्ग में वृद्धिकरण की स्वीकृति बाबत् ।

  निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नगरीय़ परिवहन सेवा मार्ग संख्या 25 में आंशिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सिवांची गेट से शनिचर जी का थान, जालोरी गेट, महात्मा गांधी अस्पताल वर्तमान ओ.पी.डी., ओलम्पिक तिराहा, बिग बाजार होते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण सर्किल तक अर्थात आने–जाने का कुल 8 किलोमीटर का वृद्धिकरण किये जाने तथा उक्त मार्ग संख्या में ओलम्पिक तिराहा से रेल्वे स्टेशन तक की अनुमति निरस्त किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया । इसी प्रकार नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 25 के सूरज बेरा से साई धाम (भूरी बेरी तक) वृद्धिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया ।

- टाटा मैजिक (8 सीटर) भट्टी की बावडी से गांधी नगर 3/27 रूट संख्या तक वृद्धिकरण के सम्बन्ध में ।

  निर्णय :– टाटा मैजिक (8 सीटर) भट्टी की बावडी से गांधी नगर (3/27 रूट संख्या) तक वृद्धिकरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

2. **आखलिया चौराहा पर बरकत कॉलोनी मैन रोड के बाहर बने सिटी बस स्टेण्ड को अन्यत्र स्थानांतरित करने बाबत् ।**

निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार आखलिया चौराहा पर

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

बरकत कॉलोनी मैन रोड के बाहर बने सिटी बस स्टैण्ड को पूर्व में ही हटाया जा चुका है अतः प्रकरण निस्तारित किया जाता है ।

3. **पावटा चौराहा स्थित सिटी बस स्टेण्ड स्थानान्तरण करने बाबत् ।**

निर्णय :– प्रकरण में अध्यक्ष महोदय ने पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर को पावटा चौराहा पर यात्री भार एवं आमजन की सुविधा के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया । प्रकरण उक्तानुसार निस्तारित किया गया ।

4. **जोधपुर शहर मे ऑटोरिक्शा स्कोप निर्धारण करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशो के सम्बन्ध में ।**

निर्णय :– प्रकरण में सर्व–सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त, पुलिस यातायात एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संयुक्त रूप से एसोसिएशन की मांग, शहरीकरण के विस्तार, शहर की आवश्यकता एवं ऑटो रिक्शा स्टेण्डो के निर्धारण तथा प्रत्येक स्टेण्ड पर पार्किंग संख्या के निधारण के सम्बन्ध मे विस्तार से समीक्षा एवं परीक्षण कर उद्देश्यात्मक विश्लेषण करते हुए कारणों सहित व्याख्या कर तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करें।

5. **बजट घोषणा 2020–21 की पालना में ट्रैफिक पार्क स्थापित करने के सम्बन्ध मे।**

निर्णय :– प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर ने अवगत करवाया कि प्रस्ताव वर्तमान में श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के कार्यालय में प्रगतिरत है तथा यातायात नियंत्रण बोर्ड स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । अतः प्रकरण निस्तारित किया जाता है ।

6. **आल राजस्थान निजी एम्बूलेन्स ड्राईवर यूनियन द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर में एम्बूलेन्स स्टेण्ड की अनुमति बाबत् ।**

निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त स्टेण्ड यातायात की दृष्टिकोण से उचित नहीं होने के कारण प्रस्ताव खारिज किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

7. **न्यू जोधाणा ऑटो रिक्शा स्टेण्ड समिति द्वारा एम्स के गेट नम्बर 3 के पास ऑटो रिक्शा स्टेण्ड स्वीकृत करने बाबत् ।**

निर्णय :– पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार गेट नम्बर 03 के बाहर ओ.पी.डी. एवं आपातकालीन हेतु आने–जाने वाले वाहनों की निरन्तर भीड बनी रहती है। ऑटो रिक्शा हेतु वांछित स्थान के पास ही पार्किंग क्षेत्र भी संचालित हो रहा है जिसकी वजह से वाहनों की भारी भीड रहती है । अतः उक्त स्टेण्ड बाबत् प्रस्ताव यातायात की दृष्टिकोण से उचित नहीं होने के कारण खारिज किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

<u>प्रस्ताव सं. 06</u> :– राजस्थान विधानसभा सचिवालय से प्राप्त याचिका संख्या 6520, जोधपुर शहर की बढती आबादी को देखते हुए आखलिया चौराहा, प्रताप नगर,

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

सूरसागर थाना, घोडा–घाटी, पन्नालाल गौशाला होते हुए एक नया रूट खुलवाये जाने के सम्बन्ध मे ।

निर्णय :– प्रकरण में प्रस्ताव संख्या 5 (1) के अनुसार निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रस्ताव संख्या 07 :– धरोहर उच्च न्यायालय परिसर से नये उच्च न्यायालय भवन तक बी. आर.टी.एस. की लो–फ्लोर सिटी बस सेवा संचालित किये जाने बाबत्।

निर्णय :– प्रकरण में उक्त सेवा संचालित किये जाने हेतु प्रबन्धक, जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं पुलिस उपायुक्त यातायात तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर को प्रकरण का संयुक्त रूप से परीक्षण कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि जन–सुविधा की दृष्टिकोण से यथोचित निर्णय पारित किया जा सके ।

<u>प्रस्ताव सं.. 08</u> :– नये ऑटो रिक्शा स्टेण्डों के निर्धारण एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में :–

निर्णय :– प्रकरण में अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त पुलिस यातायात, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर तथा प्रबंधक, जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा को संयुक्त रूप से सर्वे कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया ।

<u>प्रस्ताव सं. 09</u> :– बस ठहराव स्थल चिन्हित करने एवं प्राईवेट बस कैरिज एवं कैरिज बसों के अस्थायी ठहराव स्थल चिन्हित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– बस ठहराव स्थल चिन्हित करने एवं प्राईवेट बस कैरिज एवं स्टेज बस कैरिज बसों के अस्थायी ठहराव स्थल चिन्हित करने के सम्बन्ध में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपायुक्त पुलिस यातायात, उपायुक्त (मुख्यालय) जोविप्रा, एवं उपायुक्त नगर निगम जोधपुर को निर्देशित किया गया कि संयुक्त रूप से मौका भ्रमण कर उपयुक्त स्थल चिन्हित करे तथा उक्त चिन्हित स्थलो तक नगरीय बस सेवा का भी विस्तार भी हो । यदि उक्त स्थल की भूमि राजकीय हो तो नगर निगम अथवा प्राधिकरण स्थल को विकसित कर निजी ऑपरेटर्स से नियत शुल्क वसूल कर संस्था की आय में वृद्धि भी कर सकती है ।

निजी ऑपरेटर्स से बातचीत कर शहर में विभिन्न स्थलों पर बसों के एक से दो मिनिट ठहराव के सम्बन्ध में चर्चा कर उतार/चढाव स्थल चिन्हित करें ताकि यात्रियो के आवागमन में सुविधा हो तथा यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे । उक्त कार्य कर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ।

<u>प्रस्ताव सं. 10</u> :– यातायात नियन्त्रण बोर्ड की गत बैठकों में चौराहों/सर्किल के आकार एवं यातायात सुगमता के दृष्टिकोण से तकनीकी सुधार हेतु गठित समिति के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति पर चर्चा ।

निर्णय :– चौराहों/सर्किल के आकार एवं यातायात सुगमता की दृष्टिकोण से तकनीकी सुधार हेतुं एक समिति गठित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं –

1. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

2. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3. अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, जोधपुर
4. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर
5. सहायक पुलिस आयुक्त यातायात, जोधपुर
6. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर

उक्त समिति को पूर्व निर्देशित किया गया था कि शहर क्षेत्र के समस्त चौराहो/सर्किल का मौका निरीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण कर नवीन बनावट/नमूना नक्शा व समाधान सम्बन्धित संयुक्त विस्तृत रिपोर्ट सब कमेटी (T.C.B.) को पेश करें, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देशित किया कि आगामी बैठक में विस्तृत रिपोर्ट पेश करें । निदेशक अभियांत्रिकी ने अवगत करवाया कि कुछ सर्किलों में आवश्यक सुधार किये गये है । इसी के साथ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर को सड़क सुरक्षा निधि से बजट प्राप्त करने हेतु सक्षम स्तर से मांग करने हेतु पाबन्द किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

(हरभान मीणा (RAS))
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांकः– टीसीबी/ 2021/84–127

दिनांकः–18/11/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर
02. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
03. पुलिस उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षण–ग्रामीण, जोधपुर
04. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
05. सचिव महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
06. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जोधपुर (उतर/दक्षिण)
07. महाप्रबन्धक (प्रचालन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
08. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
10. अपर मुख्य अभियन्ता,जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
12. वरिष्ठ प्रबंधक रिको, जोधपुर
13. अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी. (एन.एच.) जोधपुर
14. कमाण्डर 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, जोधपुर
15. निदेशक–अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उतर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यावाही विवरण का अंकन वेब–साईट पर करने तथा संबधित अधिकारियों को जरिये ई–मेल प्रेषित करने हेतु प्रेषित है ।
20. श्री हरभान मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
21. श्री राम नारायण बडगुर्जर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
22. श्री गणपत कुमार, डी..टी.ओ. जोधपुर
23. श्री रविन्द्र बोथरा, ए.सी.पी. (ट्राफिक), पुलिस ।
24. श्री लाडूराम. विश्नोई, निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
25. श्री मुकेश भाटी, (ए.सी.ई.) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
26. श्री सुधीर माथुर अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
27. श्री संजय माथुर अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर (उतर)
28. डा. श्री ललित कुमार, पी.आर.ओ., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
29. श्रीमति विमला, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर ।
30. श्री ओ.पी. सिरवी, निदेशक वित, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
31. श्री अनिल कुमार पूनिया, (उपायुक्त पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
32. श्री राजेश कुमार मीणा, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय(यातायात) जोधपुर ।
33. श्री जगदीश कुमार, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
34. श्री राजेश वर्मा, निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
35. श्री श्रवण कुमार दाधीच, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर ।
36. श्री राकेश गहलोत, अधिशाषी अभियन्ता (विधुत) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
37. श्री राहुल सांखला, प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।

(हरभान मीणा (RAS))
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

दिनांक 23 सितम्बर 2021 को सायं 04.00 बजे श्री कमर उल जमान चौधरी आई..ए.एस. आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, की अध्यक्षता में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति निम्न प्रकार है –

क्र. स.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री हरभान मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	श्री राम नारायण बडगुर्जर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
3.	श्री गणपत कुमार, डी..टी.ओ. जोधपुर
4.	श्री रविन्द्र बोथरा, ए.सी.पी. (ट्राफिक), पुलिस
5.	श्री लाडूराम. विश्नोई, निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री मुकेश भाटी, (ए.सी.ई.) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7.	श्री सुधीर माथुर अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
8.	श्री संजय माथुर अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर (उतर)
9.	श्री अनिल कुमार पूनिया, (उपायुक्त पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	डा. श्री ललित कुमार, पी.आर.ओ., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
11.	श्रीमति विमला, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर ।
12.	श्री ओ.पी. सिरवी, निदेशक वित, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
13.	श्री राजेश कुमार मीणा, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय(यातायात) जोधपुर ।
14.	श्री जगदीश कुमार, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
15.	श्री राजेश वर्मा, निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
16.	श्री श्रवण कुमार दाधीच, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
17.	श्री राकेश गहलोत, अधिशाषी अभियन्ता (विधुत) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18.	श्री राहुल सांखला, प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।